ऑडियो–विजुअल निर्माण हेतु दर निर्धारण एवं योग्य, अनुभवी फर्मों का इम्पैनलमेन्ट बाबत ऑनलाईन निविदा

निविदा सूचना क्रमांक– 812 नवा रायपुर दिनांक 29/07/2024

//ऑनलाईन निविदा प्रपत्र//

निविदा प्रपत्र का शुल्क	राशि रू. 2,360/– (रू. 2000 + जीएसटी रू. 360)–(वापसी योग्य नहीं) प्रत्येक के लिए
अमानत राशि	1– ऑडियो–विजुअल निर्माण हेतु 'अ' श्रेणी के लिए रू. 2,00,000/– 'ब' श्रेणी के लिए रू. 1,00,000/– 'स' श्रेणी के लिए रू. 25,000/– 2– रेडियो जिंगल्स एवं धारावाहिक निर्माण हेतु रू. 25,000/–
प्री–बिड हेतु निर्धारित तिथि	दिनांक 13/08/2024 समय 12:30 बजे अपरान्ह
निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	दिनांक 03/09/2024 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 03/09/2024 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
ऑनलाईन निविदा टेक्निकल बिड खोलने की तिथि	दिनांक 03/09/2024 समय 4:00 बजे सायं
प्रस्तुतिकरण की तिथि	टेक्निकल बिड में योग्य फर्मों को पृथक से सूचित किया जाएगा।
वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	योग्य फर्मों को पृथक से सूचित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ संवाद

(छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छ.ग.

रायपुर फोन नं. 0771–2512510

Web :- www.samvad.cg.nic.in, Email :- cgsamvadelemedia@gmail.com

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, फोन – 0771–2512510

क्रमांक–812 / छ.ग.सं / फिल्म / 2024 नवा रायपुर, दिनांक : 29 / 07 / 2024

ऑडियो–विजुअल निर्माण हेतु दर निर्धारण एवं योग्य, अनुभवी फर्मों का इम्पैनलमेंट बाबत ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों, निगम, मंडलों द्वारा संचालित योजनाओं कार्यक्रमो एवं नीतियों के प्रचार–प्रसार हेतु ऑडियो–विजुअल निर्माण के लिये दर निर्धारण एवं ऑडियो–विजुअल निर्माता फर्मों / एजेंसियों का इम्पैनलमेंट हेतु ऑन लाईन निविदा आमंत्रित है। निविदा प्रपत्र, नियम–शर्तें एवं वित्तीय दर प्रस्ताव संबंधित अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट **www.samvad.cg.nic.in** से प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा के नियम शर्तों या अन्य किसी प्रकार संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जायेगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जायेगी।

निविदा प्रपत्र का शुल्क	राशि रू. 2,360 / – (रू. 2000 + जीएसटी रू. 360)– (वापसी योग्य नहीं) प्रत्येक के लिए
अमानत राशि	1– ऑडियो–विजुअल निर्माण हेतु 'अ' श्रेणी के लिए रू. 2,00,000 / – 'ब' श्रेणी के लिए रू. 1,00,000 / – 'स' श्रेणी के लिए रू. 25,000 / – 2– रेडियो जिंगल्स एवं धारावाहिक निर्माण हेतु रू. 25,000 / –
प्री–बिड हेतु निर्धारित तिथि	दिनांक 13 / 08 / 2024 समय 12:30 बजे अपरान्ह
निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	दिनांक 03 / 09 / 2024 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 03 / 09 / 2024 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
ऑनलाईन निविदा टेक्निकल बिड खोलने की तिथि	दिनांक 03 / 09 / 2024 समय 4:00 बजे सायं
प्रस्तुतिकरण की तिथि	टेक्निकल बिड में योग्य फर्मों को पृथक से सूचित किया जाएगा।
वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	योग्य फर्मों को पृथक से सूचित किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर, अटल नगर

छत्तीसगढ़ संवाद

(छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

ऑडियो–विजुअल निर्माण हेतु दर निर्धारण एवं योग्य, अनुभवी फर्मों का इम्पैनलमेंट बाबत

ऑनलाईन निविदा की नियम एवं शर्तें

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों, निगम, मंडलों द्वारा संचालित योजनाओं कार्यक्रमो एवं नीतियों के प्रचार–प्रसार हेतु ऑडियो–विजुअल निर्माण के लिये ऑडियो–विजुअल निर्माता फर्मों/एजेंसियों का इम्पैनलमेंट किया जाना है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा समाचार चैनलों, केबल टीव्ही, सोशल मीडिया, प्रदर्शनी, इंटरनेट वेबसाईट, एलईडी स्क्रीन, सिनेमाघरों, आउटडोर माध्यम एवं विभिन्न आयोजनों में प्रदर्शन के लिये ऑडियो–विजुअल का निर्माण कराया जाता है। ऑडियो विजुअल कंटेंट के अंतर्गत डॉक्युमेंट्री, वीडियो स्पॉट, एनीमेटेड फिल्म्स, प्रायोजित रेडियो एवं टीवी कार्यक्रम, रेडियो जिंगल आदि का निर्माण कराया जाएगा।

1. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा एच.डी. फार्मेट में ऑडियो–विजुअल निर्माण के लिए इच्छुक संस्थाओं का तीन श्रेणियों 'अ', 'ब' एवं 'स' में तथा रेडियो के श्रव्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रेडियो जिंगल्स एवं धारावाहिक निर्माण के लिए दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा।
2. निविदाकार फर्म/एजेंसी को ई–निविदा आवेदन के साथ निविदा शुल्क रू. 2,360/– एवं अमानत राशि **1– ऑडियो–विजुअल निर्माण 'अ' श्रेणी के लिए रू. 2,00,000/–, 'ब' श्रेणी के लिए रू. 1,00,000/–, 'स' श्रेणी के लिए रू. 25,000/–, 2– रेडियो जिंगल्स एवं धारावाहिक निर्माण हेतु रू. 25,000/–** अमानत राशि (Earnest Money), छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में ऑनलाईन/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति ऑनलाईन टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।

   छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :–

Account Name	**:**	**Chhattisgarh Samvad**
Bank Name	**:**	**Axis Bank Ltd.**
Branch Name	**:**	**Pandri, Raipur (C.G.)**
Saving Account No.	**:**	**139010100021669**
IFSC Code No.	**:**	**UTIB0000139**

   बिना निविदा शुल्क एवं अमानत राशि (Earnest Money) के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा अनुबंध समाप्ती पर उक्त राशि (आवश्यक कटौती के उपरांत) वापसी योग्य होगी।
3. ऑनलाईन ई–निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट **http://samvad.cg.nic.in/** के माध्यम से ऑनलाईन ही जमा किया जाना है। निविदा के नियम–शर्तों या अन्य किसी प्रकार का संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।

4. यह इम्पेनलमेंट निविदा लागू होने की तिथि से आगामी 02 वर्ष तक के लिए होगी। इम्पैनलमेन्ट अवधि में 01 वर्ष या नवीन निविदा होने तक वृद्धि का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
5. एक फर्म ऑडियो–विजुअल निर्माण संबंधी अ, ब और स श्रेणी में से किसी एक ही श्रेणी में आवेदन कर सकेगा।
6. निविदाकार को स्वयं/फर्म के अनुभव, टर्न ओव्हर, जी.एस.टी. रिटर्न, आयकर रिटर्न एवं अन्य वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना है। फ्रेंचाईजी/ज्वाईन्ट वेन्चर मान्य नहीं होगा।
7. जिस विषय वस्तु पर दृश्य–श्रव्य कार्यक्रम बनवाएं जायेंगे उनके विषय वस्तु एवं आईडिया का निर्धारण आयुक्त जनसंपर्क/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद तथा संबंधित विभाग के मार्गदर्शन एवं सुझाव के अनुसार होगा। संस्था द्वारा तदनुरूप स्क्रिप्ट तैयार कर प्रस्तुत करना होगा।
8. संबंधित विभागों से देयकों का भुगतान छत्तीसगढ़ संवाद को प्राप्त होने के बाद ही निर्माता फर्मों के देयकों का भुगतान किया जायेगा। कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। परन्तु फर्मों को जी.एस.टी. अधिनियम के तहत नियत तिथि के अंदर जी.एस.टी. भुगतान कर जी.एस.टी. रिटर्न जमा करना होगा।
9. संस्था को निर्मित कार्यक्रम की दो डीवीडी/पेन ड्राइव छत्तीसगढ़ संवाद के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शाखा को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। वांछित गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर गुणवत्ता में सुधाकर डीव्हीडी/पेनड्राईव में प्रस्तुत करना होगा। सुधार नहीं करने की स्थिति में कार्यादेश निरस्त कर भुगतान नहीं करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा। वांछित गुणवत्ता एवं समय सीमा में कार्य न करने पर एवं निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर अमानत राशि राजसात कर संस्था को आगामी एक वर्ष के लिए काली सूची में डाला जा सकता है।
10. निविदाकार को देयक के साथ छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित प्रारूप में 50 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निर्मित वीडियो स्पॉट/डॉक्युमेंट्री में कॉपीराईट का उल्लंघन नहीं किया गया है। ऑडियो–विजुअल में प्रयोग किए गए विजुअल उनके द्वारा शूट किए गए हैं तथा वीडियो स्पॉट में प्रयोग किए गए म्यूजिक, सांग, स्क्रिप्ट, वाईस ओव्हर में कॉपीराईट का उल्लंघन नहीं किया गया है।
11. ऑडियो–विजुअल निर्माण के लिये 'अ', 'ब' एवं 'स' श्रेणी के लिए संस्था की तकनीकी टीम– निर्देशक (सृजन), स्क्रिप्ट राईटर, सिनेमेटोग्राफर, वीडियो एडिटर, कैमरा पर्सन, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की सूची ऑनलाईन अपलोड करना होगा।
12. ऑडियो–विजुअल निर्माण हेतु निविदा जमा करने वाले फर्मों को Assessment Year 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का आयकर रिटर्न की सत्यापित प्रति ऑनलाईन अपलोड करना होगा। 'अ' एवं 'ब' श्रेणी के ऑडियो–विजुअल निर्माण निविदा के टेक्निकल बिड में माह मार्च 2024 का GST R3B की रिटर्न की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना होगा।
13. निर्धारित प्रारूप में 50 रूपये स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र दिया जाना होगा कि संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र/अन्य अभिलेख पूर्णतः सही है और सत्यापन के समय कोई प्रमाण–पत्र गलत पाये जाने पर उसे छत्तीसगढ़ संवाद की सूचीबद्धता से अगले एक वर्ष तक के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।
14. 'अ' एवं 'ब' श्रेणी के ऑडियो–विजुअल निर्माण हेतु निविदाकार फर्म/एजेंसी का छत्तीसगढ़ राज्य में जीएसटी पंजीयन होना अनिवार्य है। साक्ष्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत जीएसटी पंजीयन की प्रति/ARN की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है। परन्तु फाईनेंशियल बिड खोलने की तिथि के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत जीएसटी पंजीयन की प्रति छत्तीसगढ़ संवाद के **E-mail: cgsamvadelemedia@gmail.com** के माध्यम से

उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा संबंधित निविदाकार फर्म के टेक्निकल बिड को अमान्य कर फाईनेंशियल बिड नहीं खोला जाएगा।

15. निविदाकार फर्म/एजेंसी जिस श्रेणी के लिए पात्रता रखते हैं, उन्हें ऑनलाईन आवेदन के साथ छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाते में जमा किए गए अमानत राशि की पावती/साक्ष्य निम्नानुसार संलग्न करना अनिवार्य है :–

(1) ऑडियो–विजुअल निर्माण हेतु अमानत राशि :–

'अ' – श्रेणी	रूपए 2.00 लाख
'ब' – श्रेणी	रूपए 1.00 लाख
'स' – श्रेणी	रूपए 25 हजार

(2) रेडियो जिंगल्स, धारावाहिक हेतु अमानत राशि– रूपए 25 हजार

16. अमानत राशि/प्रतिभूति राशि वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

17. फर्मों के पास तीन वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का औसत वार्षिक टर्नओवर कम से कम निम्नानुसार होना अनिवार्य है :–

(1) ऑडियो–विजुअल निर्माण हेतु औसत वार्षिक टर्नओव्हर–

अ – श्रेणी	रूपए 75 लाख
ब – श्रेणी	रूपए 20 लाख
स – श्रेणी	रूपए 05 लाख

(2) रेडियो जिंगल्स, धारावाहिक निर्माण हेतु तीन वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का औसत वार्षिक टर्नओव्हर – रूपए 2 लाख

18. सत्यापन हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित एवं UDIN अंकित टर्नओव्हर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

19. ऑडियो–विजुअल निर्माण क्षेत्र में कार्यानुभव के लिये उक्त कार्यों हेतु प्राप्त कार्यादेशों/कार्य संपादन प्रमाण–पत्र/केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन के किसी विभाग अथवा संस्था में इम्पैनल्ड होने संबंधी पत्र की प्रतियां ऑनलाईन टेक्निकल बिड में संलग्न करना अनिवार्य है।

20. टेक्निकल बिड में ऑनलाईन प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर योग्य पाए गए फर्मों का उनके द्वारा निर्मित कार्यक्रमों को ऑनलाईन प्रजेन्टेशन के दौरान अवलोकन किया जाएगा एवं योग्य पाए गए फर्मों का फाईनेंशियल बिड खोला जाएगा।

21. सूचीबद्व (इम्पैनल्ड) फर्मों को ऑडियो–विजुअल निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ संवाद के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा।

22. निविदा दरें डीएव्हीपी/दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा निर्धारित दरों से ज्यादा किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। प्राप्त दरों के आधार पर निगोशियेसन पश्चात् प्रत्येक कार्यों के लिए दर निर्धारित कर टेक्निकल बिड एवं प्रजेन्टेशन में योग्य पाए गए फर्मों से सहमति प्राप्त कर सहमत फर्मों को इम्पैनल्ड किया जायेगा। पात्रता निम्नानुसार होगी :–

<u>ऑडियो–विजुअल निर्माण हेतु :–</u>

टेक्निकल बिड में योग्य पाए गए फर्मों का अपने सर्वश्रेष्ठ निर्मित किये गये 1 वीडियो स्पॉट का ऑनलाईन प्रजेन्टेशन प्रस्तुत करना होगा। टेक्निकल बिड में योग्य पाए गए फर्मों को प्रजेन्टेशन हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पृथक से सूचित किया जाएगा।

"अ" श्रेणी

- संस्था द्वारा 2 मिनट अवधि तक के न्यूनतम 10 वीडियो स्पॉट्स तथा 2 मिनट या 2 मिनट से अधिक की अवधि के 10 डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मित किये गये हो। उक्त कार्यों की पुष्टि के लिए कार्यादेश/कार्य संपादन प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा।
- अंग्रेजी/स्थानीय बोली में रूपांतरण हेतु लैंग्वेज वर्जन की दर भी प्रस्तुत करना होगा।
- छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता/निर्देशक/फर्म द्वारा निर्मित किसी फिल्म को भारत सरकार से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित निर्माता/निर्देशक/फर्म (निविदाकार) को वांछित टर्न ओव्हर की बाध्यता नहीं होगी। (साक्ष्य हेतु दस्तावेज अपलोड करना होगा)

"ब" श्रेणी

- संस्था द्वारा 2 मिनट अवधि तक के न्यूनतम 5 वीडियो स्पॉट्स तथा 2 मिनट या 2 मिनट से अधिक की अवधि के 5 डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मित किये गये हो। उक्त कार्यो की पुष्टि के लिए कार्यादेश/कार्य संपादन प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।
- अंग्रेजी/स्थानीय बोलियों में रूपांतरण हेतु लैंग्वेज वर्जन की दर भी प्रस्तुत करना होगा।

"स" श्रेणी

- संस्था द्वारा 1 मिनट तक की अवधि के न्यूनतम 2 रील तथा 2 मिनट या 2 मिनट से अधिक की अवधि के 2 वीडियो स्पॉट निर्मित किये गये हो। उक्त कार्यो की पुष्टि के लिए कार्यादेश/कार्य संपादन प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।
- स श्रेणी में मात्र रील एवं शार्ट्स का निर्माण कराया जाएगा।
- "स" श्रेणी हेतु प्रजेंटेंशन की आवश्यकता नहीं होगी।
- 'स' श्रेणी हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ऐसे युवा प्रशिक्षित निर्माता निविदाकार के रूप में निविदा में भाग ले सकते हैं, जिन्होंने केन्द्र अथवा राज्य शासन के मान्यता प्राप्त संस्था से फिल्म विधा के किसी क्षेत्र जैसे निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि के पाठ्यक्रम में डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण की हो। किसी निविदाकार फर्म के कर्मचारी के पास उपरोक्तानुसार डिग्री/डिप्लोमा होने की स्थिति में फर्म को उक्त छूट नहीं मिलेगा। फर्म को 'स' श्रेणी हेतु वांछित अर्हताएं पूर्ण करना होगा। केवल डिग्री/डिलोमाधारी स्वयं के नाम से निविदा में भाग ले सकते हैं। ऐसे युवाओं को 'स' श्रेणी की निविदा में भाग लेने हेतु अनुभव एवं टर्नओवर प्रमाण पत्र तथा बिन्दु क्र. 11 में उल्लेखित तकनीकी टीम की जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

<u>रेडियो जिंगल्स, धारावाहिक निर्माण हेतु</u> :–

- संस्था द्वारा न्यूनतम क्रमशः 5 आडियो जिंगल्स एवं एक रेडियो धारावाहिक निर्मित किये गये हो। इसकी पुष्टि के लिए कार्यादेशों की छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा।

23. यह निविदा बौद्धिक, वैचारिक, रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रवृत्ति की है और ऐसे कार्य निविदाकर्ता के व्यक्तिगत और रचनात्मक अनुभव पर निर्भर करता है। सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस तरह की रचनात्मकता को मापना हमेशा मुश्किल होता है। इसलिए बौद्धिक

संपदा से संबंधित इस निविदा के लिए दर निर्धारण हेतु निविदा के न्यूनतम (**L1**) दर पर सहमत निविदाकारों का एक पैनल गठित किया जायेगा। यदि निविदा के **L1** दर अन्य निविदाकारों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए व्यवहारिक न होने एवं दर अत्यंत कम होने के कारण स्वीकार्य न हो तो इस स्थिति में निविदा समिति द्वारा निविदा के अन्य दरों, गतवर्ष के अनुमोदित दरों अथवा **DAVP** द्वारा निर्धारित दरों को ध्यान में रखते हुए एक नवीन दर का मूल्यांकन कर अनुशंसा करेगी, जो इस निविदा हेतु अनुमोदित किया जायेगा। अनुमोदित दरें किसी भी स्थिति में 'अ' श्रेणी की दरों से 'ब' एवं 'स' श्रेणी की दरें ज्यादा नहीं होंगी एवं इसी तरह 'ब' श्रेणी की दरों से 'स' श्रेणी की दरें ज्यादा नहीं होंगी। ऐसी स्थिति में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा दर निर्धारण कर अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाएगी।

24. इम्पैनलमेन्ट की प्रक्रिया प्राथमिक तौर पर दर निर्धारण के लिए किया जा रहा है। सूचीबध्द (इम्पैनल्ड) फर्मों को निर्धारित न्यूनतम दर में कार्य आबंटन का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद एवं आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय के पास सुरक्षित रहेगा। इम्पैनलमेंट का अर्थ कार्य आबंटित करने की प्रतिबद्धता नहीं है।
25. इम्पैनल्ड फर्मों को एल–1 दर एवं जीएसटी के अलावा अन्य किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।
26. निविदा स्वीकृत अथवा निरस्त करने एवं निविदा के नियम शर्तों को शिथिल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। निविदा प्रक्रिया के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन हित में आवश्यकतानुसार शर्त निर्धारित किया जा सकता है, जो कि निविदाकर्ता को मान्य करना होगा।
27. निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य है एवं निविदाकार फर्म को कॉपीराइट नियम, बौद्धिक सम्पदा नियम का पालन करना होगा।
28. निविदाकार फर्म को ऑडियो–विजुअल निर्माण के देयक के साथ इस आशय का 50 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, कि ऑडियो–विजुअल में कॉपीराईट एक्ट का उल्लंघन नहीं गया है तथा प्रस्तुत सामग्री का मालिकाना हक निर्माता संस्था के पास है।
29. किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र जिला न्यायालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ ही होगा।
30. **<u>आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता)</u>:–** किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर– प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा)

शपथ पत्र

मैं–––––––––––––––––––––– संस्था प्रमुख निवासी –––––––––––––––––––––––––– छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निर्धारित नियम एवं शर्त तथा अनुबंध का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छग संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छत्तीसगढ़ संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार है।

यह कि जब विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर मेरी संस्था का प्रजेन्टेशन किया जायेगा, उस समय मैं समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी संस्था का प्रजेन्टेशन कराउंगा/कराउंगी। प्रजेन्टेशन उपरांत समिति का निर्णय मुझे मान्य होगा। इसके साथ ही मैं किसी प्रकार के व्यय का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

यह कि वर्तमान में हमारी संस्था ––––––––––––––––––––––––––––या मैं स्वयं किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेट (काली सूची) नहीं है एवं हमारी संस्था द्वारा देय सभी कर एवं शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

स्थान ––––––––––––––
दिनांक –––––––––––––

हस्ताक्षर
(पूरा नाम)
संस्था का नाम व मोहर

परिशिष्ट–एक

फिल्म निर्माण क्षेत्र में किये गये कार्यानुभव का सप्रमाण विवरण– (दृव्य–श्रृव्य कार्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में किये गये कार्यों का विवरण जिस वर्ष में किया गया है, उसको क्रमानुसार ही उल्लेखित करें तथा उसी अनुसार आवेदन के साथ आदेशों की छायाप्रति, जिस संस्था के लिये कार्य पूर्ण किया गया उसका संतुष्टि प्रमाण पत्र संलग्न की जाए।

क्रं	कार्यक्रम का स्वरूप आडियो, वीडियो जिंगल / वीडियो स्पॉट / लघुवृत्त चित्र/रील/ धारावाहिक	विषय	स्वीकृति का वर्ष	विभाग/निगम/मंडल या अन्य क्लाईन्ट का नाम एवं पूर्ण पता	कार्यादेश क्र. /दि. अंकित कर (छायाप्रति संलग्न करे।)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

हस्ताक्षर

पूरा नाम एवं पता

प्रस्तावित वित्तीय दर

एच.डी. फार्मेट में ऑडियो–विजुअल/एनिमेशन निर्माण हेतु ('अ' श्रेणी)

कार्यक्रम का विवरण	कार्यक्रम की अवधि के अनुसार प्रस्तावित दरें (जीएसटी अतिरिक्त) (HD फार्मेट में)							
	15 सेकण्ड तक	30 सेकण्ड तक	60 सेकेण्ड तक	90 सेकेण्ड तक	120 सेकेण्ड तक	2 से 5 मिनट	5 से 10 मिनट	10 से 15 मिनट	15 से 30 मिनिट
वीडियो स्पॉट						*	*	*	*
लैंग्वेज वर्जन						*	*	*	*
लघु वृत्तचित्र	*	*	*	*	*				
लैंग्वेज वर्जन	*	*	*	*	*				

निर्माता के हस्ताक्षर
पूर्ण पता एवं संस्था की सील

प्रस्तावित वित्तीय दर

एच.डी. फार्मेट में ऑडियो–विजुअल निर्माण हेतु ('ब' श्रेणी)

कार्यक्रम का विवरण	कार्यक्रम की अवधि के अनुसार प्रस्तावित दरें (जीएसटी अतिरिक्त) (HD फार्मेट में)								
	15 सेकेण्ड तक	30 सेकेण्ड तक	60 सेकेण्ड तक	90 सेकेण्ड तक	120 सेकेण्ड तक	2 से 5 मिनट	5 से 10 मिनट	10 से 15 मिनट	15 से 30 मिनिट
वीडियो स्पॉट						*	*	*	*
लैंग्वेज वर्जन						*	*	*	*
लघु वृत्तचित्र	*	*	*	*	*				
लैंग्वेज वर्जन	*	*	*	*	*				

<u>एलईडी स्क्रीन क्रियेटिव निर्माण हेतु</u>

<u>(निविदा शर्त अनुसार 'अ' एवं 'ब' श्रेणी की वांछित अर्हता रखने वाले फर्मो द्वारा वित्तीय दर कोड किया जा सकता है)</u>

	एलईडी क्रियेटिव निर्माण (जीएसटी अतिरिक्त)	
	15 सेकेण्ड तक	30 सेकेण्ड तक
दर		

निर्माता के हस्ताक्षर
पूर्ण पता एवं संस्था की सील

प्रस्तावित वित्तीय दर

एच.डी. फार्मेट में ऑडियो–विजुअल निर्माण हेतु ('स' श्रेणी)

कार्यक्रम का विवरण	कार्यक्रम की अवधि के अनुसार प्रस्तावित दरें (जीएसटी अतिरिक्त) (HD फार्मेट में)		
	60 सेकेण्ड तक	90 सेकेण्ड तक	120 सेकेण्ड तक
रील/शार्ट्स			

निर्माता के हस्ताक्षर
पूर्ण पता एवं संस्था की सील

प्रस्तावित वित्तीय दर

रेडियो जिंगल्स एवं धारावाहिक निर्माण हेतु

कार्यक्रम का विवरण	कार्यक्रम की अवधि के अनुसार प्रस्तावित दरें (जीएसटी अतिरिक्त) (HD फार्मेट में)			
	30 सेकेण्ड	60 सेकेण्ड	90 सेकेण्ड	120 सेकेण्ड
रेडियो जिंगल्स				
	5 मिनट	5 से 15 मिनट	*	*
धारावाहिक			*	*

निर्माता के हस्ताक्षर
पूर्ण पता एवं संस्था की सील